प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 जनवरी, 2017

विषयः- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के कतिपय अधिकारी वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित हैं एवं दिनांक 01-01-2016 के पूर्व उनके अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन (दिनांक 01-01-2016 के पूर्व) घटाकर प्राप्त होने वाले वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर महँगाई राहत तथा शुद्ध पेंशन का भुगतान उन्हें किया जा रहा है।

2- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के अखिल भारतीय सेवाओं के दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-08-2016 वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-29/2016-सा-3-606 / दस- 2016- 308/2016, दिनांक 24-08-2016 द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है ।

2/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं सम्प्रति राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मामलों में दिनांक 01-01-2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर पुनरीक्षित पेंशन उनके अन्तिम अपुनरीक्षित वेतन से कहीं अधिक बन रही है जिसके कारण दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

4- ऐसी ही स्थिति छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने पर उत्पन्न हुई थीं। तत्समय केन्द्र सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-11-2008 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये जिसका प्रस्तर-2 नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "(2)- पेंशन अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा सहित सेवानिवृत्त होकर पुनर्नियोजित होने वाले सरकारी सेवक का तथा जिसका वेतन, पुनर्नियोजन पर इन प्रसुविधाओं पर ध्यान देते हुए अथवा उसके एक भाग की उपेक्षा करते हुए निर्धारित किया गया था, और जिसने पहली जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन द्वारा अधिशासित होना चुना है अथवा चुना गया समझा गया है, का आरंभिक वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम-7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त पुनर्नियोजित सरकारी सेवक, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथा संशोधित पूर्व संशोधित वेतनमानों में अनुमत्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधायें अर्जित करता रहेगा, जिनके संबंध में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किये गये हैं।

3/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथापि, संशोधित पेंशन (पेंशन का उपेक्षणीय भाग, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर) के समतुल्य राशि दिनांक 01-01-2006 से अथवा बाद से, पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन के निर्धारण के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उसके वेतन में से काट (कम कर) दी जायेगी।"

5- केन्द्र सरकार के उपर्युक्त आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 22-04-2013 निर्गत किया गया जिसका सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किया गया है :-

"(2)- दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त पुनर्योजित सरकारी सेवकों द्वारा पुनर्योजित पद पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जैसे वह पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवानिवृत्त हुए हों। पुनर्योजन पर उनका वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित काल्पनिक पुनरीक्षित वेतन (ग्रेड-पे सहित) में से पुनरीक्षित पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए किया जायेगा।

(3)- ऐसे राजकीय सेवक जो दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को पुनर्योजन में थे, के अपुनरीक्षित वेतनमान में आहरित अंतिम मूल वेतन तथा पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01-01-2006 से उपर्युक्तानुसार करते हुये, पुनर्योजित पद पर उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(4)- पुनर्योजित पद पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग, पुनर्योजित सरकारी सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) (वास्तविक अथवा काल्पनिक, जैसी भी स्थिति हो) अथवा पुनर्योजित पद के वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो

4/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कम हो, से अधिक नहीं होगा।"

6- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त अभी केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01-01-2016 के उपरान्त पुनर्योजित कार्मिकों के संबंध में आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं परन्तु जो सिद्धान्त छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने पर अपनाया गया था, उसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे पुनर्योजित अधिकारी जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित थे/हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

7- इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

(क)- ऐसे अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-01-2016 को पूर्व प्राप्त अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार के संगत आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2016 से यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।

(ख)- दिनांक 01-01-2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-08-2016 के अनुसार किया जायेगा।

(ग)- उप प्रस्तर-(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर-(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन पर वेतन निर्धारित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित अधिकारी के पुनरीक्षित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(घ)- यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों का वेतन तद्नुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की

5/-

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजन द्वारा कर ली जायेगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अपनी लिखित सहमति देनी होगी।

8- राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित कार्मिकों के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-01/2017-सा-3-931(1)/दस-16-308/2016, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति विभाग/वन विभाग/गृह विभाग/गोपन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम / द्वितीय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।